संख्या-15/20/95-का-4-2007

प्रेषक,

जे.एस.दीपक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : अक्टूबर 15 ,2007

विषयः-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को समय से अधियाचन प्रेषित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 26 मार्च, 2007 एवं दिनांक 09 अगस्त, 2007 में आपसे यह अनुरोध किया गया था कि आरक्षण सहित समस्त विन्दुओं को सुस्पष्ट करते हुए, समय से लोक सेवा आयोग को अधियाचन प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि समसंख्यक शासनादेश दिनांक 17 अगस्त, 2006 में अंकित समय-सारिणी का अनुपालन किया जा सके ।

2. लोक सेवा आयोग द्वारा अवगत कराया गया है कि उपर्युक्त सुस्पष्ट निर्देशों के बावजूद उन्हें समय से अधियाचन प्रेषित नहीं किये जा रहे हैं, अतः विज्ञापन प्रकाशित कराने तथा चयन कराने में अप्रत्याशित विलम्ब हो रहा है । अतः आपसे निम्नवत् अनुरोध करने का मुझे पुनः निदेश हुआ हैः-

(1) सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2008 से संबंधित समस्त अधियाचन विलम्बतम दिनांक 15 नवम्बर, 2007 तक लोक सेवा आयोग को प्रेषित करने का कष्ट करें ।

(2) आयोग द्वारा सम्पादित की जाने वाली अन्य परीक्षाओं / चयनों से संबंधित अधियाचन भी समय से लोक सेवा आयोग को प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि मा. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में शासनादेश दिनांक 17 अगस्त, 2006 के द्वारा निर्धारित समय-सारिणी का पालन किया जा सके ।

(3) यह भी अनुरोध है कि लोक सेवा आयोग को प्रेषित किये जाने वाले समस्त अधियाचनों में लम्बवत् तथा क्षैतिज आरक्षण की स्थिति सुस्पष्ट करते हुए, संबंधित पद की सेवानियमावली की प्रति भी आयोग को प्रेषित करने का कष्ट करें ।

3. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

14x/07

(जे.एस.दीपक)
प्रमुख सचिव

संख्या-15/20/95(1)-का-4-2007, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,

(बी.एन.दीक्षित)
विशेष सचिव